69 वी बोर्ड बैठक
दिनांक - 03-12-2003
का
कार्य वृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 3–12–2003 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 3–12–2003 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में सांय 4.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

1–	श्री राजीव कुमार आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2–	श्री एस0के0त्रिवेदी उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3–	श्री अमित मोहन प्रसाद जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4–	श्री आर0के0गोयल अपर निदेशक–उद्योग, मेरठ।	सदस्य
5–	श्री अनिल राज कुमार नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
6–	श्री एस0के0जमां चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर (प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0सी0आर0)	सदस्य

Sect.

7– श्री राजपाल कौशिक सदस्य
सहयुक्त नियोजक
(प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग उ0प्र0शासन, लखनऊ)

8– श्री आर0एल0गोयल सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता
जल निगम, मेरठ।

9– श्री राजेश्वर दयाल सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता–विद्युत
नगर, मेरठ।

10– श्री ए0के0सिंह सदस्य
संयुक्त निदेशक–कोषागार एवं पेशन
मेरठ।

11– श्री राजकुमार सिंह,
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

12– श्री मंगल सैन सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

13– मौहम्मद जाहिद अंसारी सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

14– मौहम्मद अब्बास सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

15– श्री अभय कुमार बाजपेई संयोजक
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

Secy.

मद संख्या –1

प्राधिकरण की 67वीं व 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–3–2003 व 14–7–2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 67वीं व 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–3–2003 व 14–7–2003 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद संख्या –2

प्राधिकरण की 67वीं व 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–3–2003 व 14–7–2003 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन मद सं0–2(बैठक 25.11.2003)

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि परिशिष्ट–2 पर जो कार्य अभी पूरे नही हुये वह दिनांक 31.3.2004 तक पूर्ण कराये जाये।

श्री मंगल सेन, पार्षद, सदस्य प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह आपत्ति की गयी कि कंकरखेडा से नगलाताशी तक सडक बनाकर नाली काट दी गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सडकों के निर्माण के साथ–साथ नालियों के निर्माण से पानी की समुचित निकासी होती है तथा सडक भी क्षतिग्रस्त नही होती है। अतः कंकरखेडा से नगलाताशी तक सडकों के निर्माण के साथ–साथ नालियों का भी निर्माण कराया जाये।

अनुपालन मद सं0–3(बैठक 25.11.2003)

इसपर नगर आयुक्त माननीय बोर्ड सदस्य जो पूर्व में सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण भी थे बोर्ड के समक्ष यह बात प्रकाश में लायी गयी कि चूंकि प्राधिकरण की कालोनियों में बसावत नही थी, जिससे भवन में लगे दरवाजे, खिडकी चोरी हो रहे थे। सुरक्षा गार्ड रखने से अनावश्यक व्यय भार पढता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण कर्मचारियों को भवनों मे रखा गया, जिससे भवनों में लगे सामान की सुरक्षा हो सके। यह निर्णय लिया गया कि यदि कर्मचारी उक्त व्यवस्था के तहत भवन में रह रहे थे और अब भवन खाली कर दिये गये हैं तो उनसे किराया न लिया जाये और जिन लोगो ने भवन खाली नही किये हैं उन्हें लिखित में भवन खाली कराने का नोटिस दिया एवं किराया वसूल किया जाये।

प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को पार्षद कक्ष आवंटित किये जाने के संबंध में अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के संबंध में पार्षदों को अलग से सूचित किया जाये।

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 68 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण को समायोजित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय यह जानकारी मॉगी गयी कि उक्त भूमि के विषय में बिना यह सर्वे किये कि उक्त भूमि में से कौन सी भूमि प्राधिकरण के लिये उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नही है, इतने बड़े भू–भाग को पक्का निर्माण होने के फलस्वरूप विकास शुल्क लेते हुए समायोजन की कार्यवाही की संस्तुति किस स्तर से की गयी उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से परीक्षण कर उत्तरदायित्व निर्धारित करें । साथ ही इस विषय में पृथक से विस्तृत सूचना आगामी बैठक में रखी जाये।

बोर्ड बैठक दिनांक 26.3.2003

अनुपालन मद सं0–3
प्रारूप मेरठ महायोजना–2021

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि अभी विजन स्टेटमेन्ट अभी पूर्ण रूप से तैयार नही हुआ है अतः महायोजना–2021 को अन्तिम रूप नही दिया जा पा रहा है । इस सम्बन्ध में चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 (प्रतिनिधि –आयुक्त, एन0सी0आर0) को शासन को अवगत कराने हेतु कहा गया तथा माह दिसम्बर तक "विजन स्टेटमेन्ट" को अन्तिम रूप देकर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये ।

अनुपालन मद सं0–9
मेरठ में बारातघर के सरल शमन योजना के अन्तर्गत तथा स्वीकृत हेतु प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये जो बारातघर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरा नही करते हैं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही न करने वाले कौन से अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाये।

अनुपालन अनूपूरक मद सं0–5

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पुलिस चौकी/स्टेशन हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की पल्लवपुरम्, गंगानगर, लोहिया नगर, शताब्दी नगर एवं वेद व्यासपुरी आवासीय योजनाओं में पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी की स्थापना हेतु नि : शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा इसका समायोजन कॉस्टिंग में कर लिया जाये।

मद संख्या –3

शताब्दी नगर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजनाओं में स्थित भवनों का अलोकप्रिय सम्पत्ति के रूप में चिन्हीकरण कर शासनादेश संख्या 4049/9–आ–1–99/16 समिति/1998 दिनांक 20 नवम्बर, 1999 के अनुसार निस्तारित किये जाने का प्रस्ताव।

शताब्दी नगर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजनाओं में स्थित भवनों का अलोकप्रिय सम्पत्ति के रूप में चिन्हीकरण कर शासनादेश संख्या 4049/9–आ–1–99/16 समिति/1998 दिनांक 20 नवम्बर, 1999 के अनुसार निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि भवनों का शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन करा लिया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पत्ति के निस्तारण में तेजी लाने के लिए निजी भवन निर्माताओं की भागीदारी को बढावा देने के प्रयास किये जायें और यदि कोई सरकारी विभाग जैसे– नगर निगम आदि के कर्मचारी भवन लेना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता पर भवन/भूखण्ड आवंटित किये जायें।

मद संख्या –4

गंगा नगर, सैनिक विहार, श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय एवं पल्लवपुरम आवासीय योजनाओं में रिक्त अनिस्तारित अलोकप्रिय भवनों का 'प्रथम आओ–प्रथम पाओ' पद्वति से एवं बल्क में आवंटन/निस्तारण हेतु नियमों में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त योजनाओं की रिक्त/अनिस्तारित, अलोकप्रिय भवनों को किश्तों

में आवंटित किया जाये तथा जो पूरी कीमत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करते है उन्हे नियमानुसार छूट दी जाये।

मद संख्या –5

विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध शैक्षिक भूखण्डों के पुर्ननियोजन एवं अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों के सृजन की स्वीकृति।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति किया गया ।

मद संख्या –6

प्राधिकरण बोर्ड की विगत बैठक दिनांक 14–7–2003 में आवासीय योजनाओं में स्थित आवासीय/वाणिज्यिक बल्क सम्पत्तियों के नकद भुगतान पर निस्तारण के सम्बन्ध में पारित निर्णय के अनुक्रम में बल्क सम्पत्तियों के विक्रय की नियम एवं शर्तों में शिथिलीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या –7

मेरठ विकास प्राधिकरण की ''स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना'' में ''जेम्स एण्ड ज्वैलरी ट्रेनिंग कम प्रोडेक्ट डेवलपमेंट इनस्टीट्यूट'' हेतु भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या –8

''मेरठ विजन स्टेटमैन्ट'' व पंचवर्षीय कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 'मेरठ विजन स्टेटमेन्ट' व मेरठ महायोजना 2021 में समानता लायी जाये इस हेतु यदि मास्टर प्लान में संशोधन करना हो तो उसके लिये श्री एस.के.जमा

/आयुक्त Secy.

चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 के साथ वार्ता करके दिसम्बर तक पूर्ण करा लें तथा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में बैठक आहूत की जाये।

मद संख्या –9

स्वतंत्रता सेनानी मौ0 इसहाक पुत्र श्री बब्बू निवासी अब्दुल्लापुर की ग्राम अब्दुल्लापुर के गाटा संख्या 616 क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानी मौ0 इसहाक पुत्र श्री बब्बू निवासी अब्दुल्लापुर की ग्राम अब्दुल्लापुर के गाटा सख्या 616 क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के बजाये इन्हे 500 वर्ग मीटर का भूखण्ड योजना में नियमानुसार आवंटित कर दिया जाये।

मद संख्या –10

पल्लवपुरम आवासीय योजना के पाकेट–टी में वर्ष 1990 में नीलामी पद्वति से निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड को उपाध्यक्ष द्वारा स्पीकिंग आर्डर करते हुए नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये व धनराशि नियमानुसार वापिस की जाये।

मद संख्या –11

बसन्त विहार सहकारी गृह निर्माण समिति की रक्षापुरम आवासीय योजना में अर्जित भूमि को समिति के पक्ष में छोडे जाने के फलस्वरूप देय विकास व्यय की धनराशि पर विलम्ब अवधि का दण्ड ब्याज मुक्ति विषयक प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इसका परीक्षण कर ले कि पूर्व में बोर्ड द्वारा

Secy.

क्या निर्णय लिया गया । उपाध्यक्ष अपने स्तर पर इस प्रकरण का विधिवत एवं विस्तृत परीक्षण करके तभी दण्ड ब्याज मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार करें। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिये कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण यह पुष्टि कर ले कि बसन्त विहार सहकारी गृह निर्माण समिति व मेरठ विकास प्राधिकरण के मध्य विकास के सम्बन्ध में क्या सहमति थी तथा समिति द्वारा देनदारी के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के क्या निर्देश थे, जिससे अगली बोर्ड बैठक में इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जा सके।

मद संख्या –12

शताब्दी नगर योजना के सैक्टर–4सी में मेजर अमित कंसल को आवंटित भूखण्ड संख्या एफ–11 में देय दण्ड ब्याज रूपये 18,913.00 माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या –13

गंगा नगर आवासीय योजना में स्थित उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या सी–457 के पक्ष में देय ब्याज के रूप में जमा धनराशि वापिस करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या –14

रक्षापुरम आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित व्यंवसायिक श्रेणी के भूखण्ड संख्या सी–2 में देय दण्ड ब्याज मुक्ति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या–15

महायोजना 2021 के प्रारूप पर आपत्तियों एवं सुझावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 'मेरठ विजन स्टेटमेन्ट' व मेरठ महायोजना 2021 में समानता लायी जाये इस हेतु यदि मास्टर प्लान में संशोधन करना हो तो उसके लिये श्री एस.के.जमा चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 के साथ वार्ता करके दिसम्बर तक पूर्ण करा लें तथा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में बैठक आहूत की जाये।

मद संख्या –16

प्राधिकरण की निरस्तशुदा सम्पत्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहाल कर दिये जाने पर विवादित अवधि के ब्याज की देयता से मुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण परीक्षण कर लें संबंधित आवंटियों को सुनवाई का मौका देते हुए निस्तारित किया जाये।

मद संख्या –17

प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में अवंटियों से किश्तों में चार्ज की जाने वाली ब्याज दर के निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में आवंटियों से किश्तों में ली जाने वाली ब्याज दर के निर्धारण हेतु पुर्नविचार कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक इस आशय का पूर्ण विवरण तैयार करें कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण की लेनदारी पर कितना ब्याज विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को देना पड रहा है (Weighted average cost of funds)और इसके सापेक्ष प्राधिकरण किशतों पर लगाये जाने वाले ब्याज को कितना कम कर

Secy.

सकता है। पूर्ण विवरण के साथ अगली बोर्ड बैठक में तदानुसार प्रस्ताव रखा जाये।

मद संख्या –18

शैक्षिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन किया गया ।

मद संख्या –19

परिचालन प्रस्ताव –सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 20

परिचालन प्रस्ताव – इलाहाबाद बैंक से टर्म लोन लेने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या –21

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

अनुपूरक मद संख्या –1

मेरठ नगर में औद्यौगिक क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं नगर के आर्थिक विकास हेतु नये औद्यौगिक क्षेत्रों की मेरठ महायोजना 2021 में प्रस्तावना सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद संख्या –2

मेरठ–दिल्ली व मेरठ–हापुड एवं मेरठ–गढमुक्तेशवर मार्गो को जोडने के लिए 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग तथा मार्ग के दोनो ओर व हापुड मार्ग के जंक्शन पर आवासीय/व्यवसायिक उपयोग हेतु भूमि का अर्जन प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद संख्या –3

विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में जोनल/थीम पार्क को विकसित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद संख्या –4

भारत पैटोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा मेरठ बाई पास पर ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 215/2 क्षेत्रफल 2176.00 वर्ग मी0 भूमि पर पैट्रोल व हाईस्पीड डीजल रिटेल आऊटलेट की स्थापना हेतु भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बाईपास के ग्रीन वर्ज में निर्माण की अनुमति देने पर बाईपास का औचित्य खत्म हो जायेगा। मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि विशेष परिस्थितियों में ग्रीन वर्ज में केवल पैट्रोल पम्प

Secy

अनुमन्य किया जा सकता है। चूंकि इस बाईपास पर पैट्रोल पम्प की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। इस प्रकरण में कोई विशेष परिस्थिति परिलक्षित नही होती है। जनहित में ग्रीन वर्ज को ग्रीन वर्ज बनाये रखना ही समीचीन होगा। प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनुपूरक मद संख्या –5

आवंटित भवनों/भूखण्डों के आवंटियों द्वारा हस्तानान्तरण के समय/रजिस्ट्रेशन के समय 1 प्रतिशत म्यूटेशन फीस लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद संख्या –6

मेजर ध्यान चन्द नगर योजना संख्या–10 के अन्तर्गत ग्राम कस्बा मेरठ की अर्जित भूमि गाटा संख्या 6385 रकबा 1 बीधा गाटा संख्या 6386, रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव विचार–विमर्श के उपरान्त गाटा संख्या 6385 रकबा 1 बीघा तथा गाटा संख्या 6386 रकबा 01–11–0 अर्जन मुक्त न किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना के ग्राम रिठानी,वेदव्यासपुरी तथा लोहिया नगर योजना के ग्राम काजीपुर के ग्रामों के अतिरिक्त प्रतिकर की मांग विषयक संक्षिप्त टिप्पणी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत की गयी थी, उसमें विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण इन योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करा ले तथा जिन ग्रामों की भूमि प्राधिकरण के लिए आश्यक एवं उपयोगी हो उसमें पूरे गांव का समझौता कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया ।

आयुक्त